

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/

जयपुर, दिनांक 28.09.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 28.09.2015 में योजनाओं में वित्तीय प्रगति तथा योजना स्वीकृत करने की समीक्षा की गयी जो कि असंतोषजनक पायी गयी। इस संबंध में विभाग की योजनाओं में 90 प्रतिशत प्रगति अर्जित करने के लिए निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये:-

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में विभिन्न इन्जिनियरिंग कालेजों के साथ बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अंतिम आदेश शीघ्र जारी कराये।

(एसई,आईएवाई)

2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 16/17सीसी चार्जशीट बनाने के निर्देश दिये गये। आवास योजना के एकाउन्ट फ्रीज करने हेतु 15 दिवस में ट्रेनिंग दी जाए।

योजना में वर्ष 2015-16 की सभी स्वीकृतियाँ हेतु टारगेट के अनुसार 30 सितम्बर 2015 तक जारी किया जाना सुनिश्चित करें तथा अल्पसंख्यक परिवारों को आवास योजना का लाभ लेने हेतु राज्य सरकार स्तर से अपील जारी करायी जाए।

(एसई, ग्रा.वि.)

3. विभाग की आईडब्ल्यूएमएस वेबसाइट की बैठक दिनांक 30.09.2015 को प्रातः 11.00 बजे रखी जाये। साथ ही इस संबंध में बनाये जा रहे मोबाईल एप का प्रजेन्टेशन भी रखा जाए।

(पीडी,मोएवंमू)

4. मेवात योजना में स्वीकृतियाँ शीघ्र जारी करवाने की कार्यवाही की जाए।

(अति०मुख्य अभि० ग्रा.वि.)

5. डांग, मगरा, मेवात योजना में अलवर, भरतपुर एवं भीलवाडा जिले को स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण उन्हें नोटिस जारी किया जाये।

(अति०मुख्य अभि० ग्रा.वि.)

6. ए- वित्तीय सलाहकार ऐसी ग्राम पंचायतें (2250) जिनमें में टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। उनकी समीक्षा करें एवं उन्हें पत्र जारी करा कर उनकी टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करायी जाए।

(वित्तीय सलाहकार)

बी- ग्राम पंचायतों में टेण्डर करने की तिथि इस प्रकार की जाए कि एक अप्रैल से पहले-पहले अंतिम सूची उपलब्ध रहने के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण विकास द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी पत्रावली मा० मंत्री महोदय को भेजी जाकर तुरंत आदेश जारी कराये जाए

(एसई,ग्रा.वि.)

7. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 172 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन्हें वैबसाईट पर डाला जाए।

( पीडी,एसएपी )

8. लम्बित विधान सभा प्रश्नों के संबंध में निदेशक, डीएलबी, निदेशक समाज कल्याण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर व अन्य योजना प्रभारियों के साथ शासन सचिव महोदय की बैठक रखी जाए।

(योजना प्रभारी)

9. बीएडीपी में राशि 130 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी हुई है तथा प्रस्ताव उपलब्ध है इनकी 30 सितम्बर 2015 तक स्वीकृतियाँ जारी की जाए।

10. भारत सरकार द्वारा बीएडीपी योजना में लगभग 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने के लिए प्रस्ताव गये है। इसमें मोडल विलेज, विद्युतीकरण, स्कूलों का आधुनिकरण व अन्य कार्यों के प्रस्ताव आगामी सप्ताह तक प्राप्त कर भारत सरकार को भेजे जाये।

(योजना प्रभारी)

11. सभी योजना प्रभारी 150 प्रतिशत राशि की स्वीकृतियाँ जारी कराने के आदेश कराए।

(समस्त योजना प्रभारी)

12. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर पर समीक्षा की जाएगी।

(वित्तीय सलाहकार)

परि०निदे० एवं पदेन  
उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति० मुख्य अभियन्ता (सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)